# न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी

अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

| मिसल संख्या | तारीख दायरा | तारीख निर्णय |
|---|---|---|
| मैनुअल नं. 54 / प्रा.पत्र / 2020<br>( GCMS No. 2020 / 00080 ) | 21.09.2020 | 09.09.2024 |

राजस्थान सरकार जरिये क्षैत्रीय वन अधिकारी,
रेंज डाबी (वन मण्डल बून्दी)

— प्रार्थी

बनाम

1.आवंटन परामर्शदात्री समिति, मुकाम लाम्बाखोह जरिये
राजस्थान सरकार उपखण्ड अधिकारी, बून्दी
2.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तालेडा
3.नारायण आ. रामचन्द्र कौम गुर्जर निवासी ग्राम गणेशपुरा

— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4)

उपस्थित–
प्रार्थी की ओर से श्री कपूरचन्द जैन, एडवोकेट।
अप्रार्थी सं. 1 व 2 की ओर से पेरोकार सरकार।
अप्रार्थी सं. 3 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

## निर्णय

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र आवंटी नारायण आ. रामचन्द्र जाति गुर्जर निवासी गणेशपुरा को किये गये भूमि आवंटन खसरा सं. 232 रकबा 10 बीघा वाकेग्राम बडफू दिनांक 19.12.1978 को निरस्त किये जाने हेतु कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है।

जिला कलेक्टर; बून्दी

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर पंजिका क्रमांक 54/2020 पर दर्ज रजिस्टर की जाकर GCMS No.2020/00080 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। अप्रार्थीगण को वास्ते सुनवाई जरिये नोटिस तलब किये गये। जिला अभिलेखागार से मूल आवंटन पत्रावली तलब की गई। प्रार्थी की ओर से पेश फ़र्द दस्तावेज के संलग्न मौका पर्चा मुकाम बुधपुरा दिनांक 12.04.2022 में आवंटी मृतक नारायण आ. रामचन्द्र एवं उसकी पत्नी भूरी बाई के लाऔलाद फौत हो जाना अंकित है। ऐसे में प्रकरण में अप्रार्थी सं. 3 का कोई वारिस मौजूद नहीं होने से उसके विरूद्ध एकपक्षीय सुनवाई की गई।

तत्पश्चात बहस वकील प्रार्थी एवं पेरोकार सरकार सुनी गयी।

अभिभाषक प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि भूमि खसरा सं. 262 नया खसरा सं. 232 रकबा 51 बीघा 06 बिस्वा वाकेग्राम बडफू पटवार मण्डल गणेशपुरा तहसील बून्दी हाल तहसील तालेडा में विस्थित है। राज्य सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति दिनांक 05.08.1967 से उक्त भूमि ग्राम बडफू वनखण्ड ढसालिया (ए) आरक्षित वनखण्ड में घोषित है। अप्रार्थी सं.1 द्वारा उक्त भूमि राजस्व विभाग की सिवायचक भूमि नहीं होने से उसे आवंटन का अधिकार नहीं होते हुये भी तथ्य छिपाते हुये अप्रार्थी सं. 3 नारायण को उक्त खसरा सं. 232 किस्म गे0मु0पहाड़ में से 10 बीघा भूमि दिनांक 19.12.1978 को आवंटन कर दी गई, जो राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 16 के अन्तर्गत अवैध (Void) होने से निरस्तनीय है। अप्रार्थी सं. 2 द्वारा नामान्तरकरण सं. 125 दिनांक 14.03.1980 से उक्त भूमि पर आवंटी नारायण को गैर खातेदार दर्ज रेकार्ड कर दिया गया, जो गैर कानूनी एवं विधिविरूद्ध है। उक्त आवंटित भूमि खसरा सं. 232/3 शुद्धिकरण संख्या 56 से खसरा सं. 476/232 क्षेत्रफल 10 बीघा जमाबंदी संवत् 2061 से 2064 में अंकित करवा लिया है जो विधिसंगत नहीं होने से निरस्तनीय है। अप्राथी सं. 3 द्वारा स्वामित्व नहीं होने पर भी नामान्तरकरण एवं जमाबंदी के आधार पर उक्त वन भूमि पर गैर वानिकी कार्य एवं खनन कार्य किया जाना वैधानिक रूप से कानून सम्मत नहीं है। उक्त खसरा नम्बर की भूमि पर लीजदार सुलोचना पत्नी प्रकाशचन्द धाकड निवासी लाम्बाखोह के द्वारा खनन की स्वीकृति हेतु पूर्व में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र को आवेदित क्षेत्र के चारो ओर वनखण्ड ढसालिया (ए) की घोषित वन भूमि होने के कारण वन विभाग द्वारा दिनांक 04.03.2006 को निरस्त किया जा चुका है। इस कारण उक्त वन भूमि पर लीजदार द्वारा 25 मीटर सेप्टिक जोन छोडकर आवेदित खनन कार्य को अवैध होने से रोका जाकर वन क्षेत्र की भूमि सुरक्षित कराया जाना न्यायसंगत है। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर आवंटिती का उक्त आवंटन निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

जिला कलेक्टर; बून्दी

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये गये कि प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि खसरा सं. 476/232 क्षैत्रफल 1.6187 हैक्टेयर वाकेग्राम बडफू वर्तमान राजस्व रेकार्ड में राजकीय सिवायचक दर्ज है, ऐसे में उक्त भूमि को राजकीय सिवायचक दर्ज करवाये जाने हेतु प्रार्थी द्वारा पेश की गई आवंटन नियम 14(4) की कार्यवाही औचित्यहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है। पेरोकार सरकार द्वारा प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया एवं बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। प्रकरण में प्राप्त आवंटन पत्रावली के अवलोकन से प्रकट है कि आवंटी नारायण आ. रामचन्द्र जाति गुर्जर निवासी ग्राम गणेशपुरा को मिसल नं. 416 पर दिनांक 19.12.1978 को भूमि खसरा सं. 232 में से रकबा 10 बीघा वाकेग्राम बडफू का आवंटन किया गया था। पत्रावली पर उपलब्ध नकल जमाबंदी संवत 2061–2064 के अनुसार नारायण आ. रामचन्द्र जाति गुर्जर सा. गणेशपुरा खसरा संख्या 476/232 रकबा 10 बीघा पर गैर खातेदार दर्ज रेकार्ड था। उक्त भूमि का आवंटन निरस्त किये जाने हेतु प्रार्थी द्वारा प्रकरण अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 यहां पेश किया है। जिसके संबंध में वकील प्रार्थी का तर्क है कि आवंटित भूमि वन विभाग की भूमि होने से अप्रार्थी सं.1 को किया गया उक्त आवंटन निरस्त किया जावे। प्रार्थी द्वारा अपने कथन के समर्थन में राजस्थान राजपत्र दिनांक 11.04.1968 की छायाप्रति पेश की गई है। जिसके अनुसार घोषित वन खण्ड ढसालिया (ए) विस्तार बरूंधन में ग्राम बडफू के खसरा संख्या 262 एवं खसरा संख्या 263 सम्मिलित है। वहीं पेरोकार सरकार का कथन रहा कि उक्त आराजी राजस्व रिकार्ड में गैर खातेदारी की भूमि नहीं होकर राजकीय सिवायचक भूमि है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र आराजी खसरा संख्या 476/232 पर आवंटी नारायण गूजर को प्राप्त गैर खातेदारी अधिकार समाप्त किये जाने हेतु राजस्थान कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत पेश किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध नकल जमाबंदी संवत 2076–2078 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अप्रार्थी नारायण गूजर को आवंटित भूमि हाल खसरा संख्या 476/232 क्षैत्रफल 1.6187 हैक्टेयर वाकेग्राम बडफू राजकीय सिवायचक भूमि है जो वर्तमान में खाता संख्या 1 मे दर्ज रेकार्ड है। इससे यह भलीभांति प्रकट है कि उक्त आराजी वर्तमान में आवंटी नारायण गूजर के स्वामित्व में नहीं होकर राजकीय सिवायचक दर्ज होने से सरकारी भूमि है। ऐसी स्थिति में उक्त राजकीय भूमि के संबंध में राजस्थान कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत कार्यवाही अमल में लाये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

जिला कलेक्टर, बून्दी

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा खसरा संख्या 476/232 क्षैत्रफल 1.6187 हैक्टेयर वाकेग्राम बडफू राजकीय सिवायचक दर्ज रेकार्ड भूमि बाबत राजस्थान कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने का कोई औचित्य नहीं होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी अस्वीकार किया जाता है। जहां तक घोषित वन खण्ड ढसालिया (ए) विस्तार बरूंधन में सम्मिलित वन भूमियों के राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद का प्रश्न है तो इस संबंध में वन विभाग सक्षम स्तर पर कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 09.09.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( अक्षय गोदारा )
जिला कलक्टर बून्दी